

सशक्त बिजनेस इकोसिस्टम से राजस्थान बनेगा जी.सी.सी. एक्सीलेंस हब

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडलीय बैठक में अनुमोदित हो चुकी है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में अनुमोदित राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 प्रदेश को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) का पसंदीदा गंतव्य स्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य के प्रमुख शहरों का सशक्त बिजनेस इकोसिस्टम और किफायती ऑपरेशनल लागत के साथ-साथ नीति के अंतर्गत सब्सिडी के प्रावधान इच्छुक कंपनियों को यहां जीसीसी की स्थापना के लिए आकर्षित करते हैं।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

सेवाओं की किफायती ऑपरेशनल लागत भी सुगम बनाती है।

यह होगी आवेदन प्रक्रिया

राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 में जीसीसी के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। इच्छुक आवेदकों को

राजनियेश सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी (पीईसी) इन आवेदनों की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अध्ययन कर अपनी अनुशंसा प्रार्थमिकता से 60 दिन की समय सीमा में प्रोजेक्ट अग्रुवल कमेटी (पीएसी) को प्रस्तुत करेगी। यह

- एनसीआर, डीएमआईसी के साथ कनेक्टिविटी से जीसीसी निवेशकों को बड़े औद्योगिक केन्द्र तथा बाजारों तक पहुंच मिलेगी
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के आवेदनों का निस्तारण भी त्वरित गति से होगा

अग्रुवल कमेटी भी 60 दिन की समय सीमा में अनुशंसा के आधार पर आवेदन पर निर्णय करेगी। आध्यायी निदेशक रीको, पीईसी और प्रशासनिक सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पीएसी के अध्यक्ष होंगे। वहीं, जीसीसी के आवेदनों के निस्तारण के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

100 अरब डॉलर का लक्ष्य

राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 वर्ष 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार सृजित करने के साथ भारत के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है।

इस नीति के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित

किया जाएगा।

जीसीसी स्थापना पर रिप्स का लाभ

इस नीति में जीसीसी की स्थापना के लिए राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन योजना (रिप्स-2024) के प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा। इसमें परियोजना लागत (भूमि और भवन लागत को छोड़कर) का 30 प्रतिशत या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान की जाएगी। भूमि या लीज परिया की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक प्रतिपूर्ति लैण्ड कॉस्ट

इंसेटिव के रूप में दी जाएगी। साथ ही, कर्मचारियों के वेतन पर पहले तीन वर्षों तक 30 प्रतिशत (अधिकतम 1.25 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष) की पेराल सब्सिडी उपलब्ध दी जाएगी। यह सब्सिडी 10 करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

तीन वर्षों तक किराये में छूट मिलेगी

किराए पर संचालित इकाइयों को पहले तीन वर्षों तक किराए का 50 प्रतिशत तथा अगले दो वर्षों के लिए 25 प्रतिशत अधिकतम 5 करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष तक रेंटल असिस्टेंस के रूप में मिलेगा। कर्मचारियों के कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम ढाई करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष तक प्रतिपूर्ति पात्रानुसार की जाएगी। इसके साथ ही, पर्यावरण-अनुकूल नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन इंसेटिव, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में पेटेंट, कॉपीराइट आदि की लागत पर 50 प्रतिशत सहायता, स्टॉप ड्यूटी एवं बिजली शुल्क पर छूट भी प्रदान की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में देश में स्थित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटरों में लगभग 1.9 मिलियन की वर्कफोर्स नियोजित थी, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में 64.6 बिलियन डॉलर का योगदान दिया था। वर्ष 2030 तक जीसीसी इंडस्ट्री में 110 बिलियन डॉलर का योगदान अनुमानित है।

राजस्थान विधानसभा में विधायक अब करेंगे ‘‘डिजिटल हस्ताक्षर’’

वासुदेव देवनानी के स्पीकर बनने के बाद राजस्थान विधानसभा की डिजिटल यात्रा में एक और नया अध्याय जुड़ा



विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। राजस्थान विधानसभा की डिजिटल यात्रा में एक और नया अध्याय जुड़ रहा है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किए जा रहे नवाचारों के तहत राज्य विधानसभा सचिवालय में होने वाली समितियों की बैठकों में माननीय सदस्यों की उपस्थिति अब आईपैड पर डिजिटल रूप से दर्ज होगी। पूर्व में यह उपस्थिति हस्ताक्षर मैनुअल ढंग से दर्ज किए जाते थे।

डिजिटल उपस्थिति दर्ज करने के लिए विधानसभा सचिवालय द्वारा एक एप्लीकेशन तैयार कर ली गई है। विधानसभा के उप सचिवों और समस्त सहायक सचिवों को इस एप्लीकेशन के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही विधान सभा के सभी सदस्यों को इसकी जानकारी देने के पश्चात बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है। इसके अलावा विधानसभा की सभी समितियों की बैठकों के लिए

बैठक दिवस पर आई पेड उपलब्ध कराने तथा दो समितियों के मध्य पेंसिल शेयर करने के निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। समिति की बैठक के पश्चात प्रतिदिन आईपैड पुनः विधानसभा सचिवालय में जमा कराने होंगे।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान

- डिजिटल उपस्थिति दर्ज करने के लिए विधानसभा सचिवालय ने एक एप्लीकेशन भी तैयार की है, जिसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है

विधान सभा के डिजिटलाइजेशन के तहत सभी 200 माननीय सदस्यों की सीटों पर आई पेड लगाए गए हैं और विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत ई-विधान एप्लीकेशन नेवा का उपयोग राजस्थान विधान सभा को डिजिटल बनाये जाने के लिए किया जा रहा है। इससे विधान सभा के सदन से संबंधित विधेयक, रिपोर्ट्स, वीडियो आदि मीडिया अनुसंधानकर्ता और आम नागरिक को अब सरलता से ऑन लाईन

उपलब्ध हो रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को विधान सभाओं को डिजिटल बनाए जाने के लिए वन नेशन-वन एप्लीकेशन के तहत नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन का उपयोग कर राजस्थान विधान सभा सदन और सचिवालय को डिजिटल किया गया है। इससे पर्यावरण की रक्षा एवं समय की बचत के लिए विधान सभा और सचिवालय की कार्यवाही पेपरलेस गई है। ई-विधान ऐप एन्ड्रायड और आई.ओ.एस दोनों तरह के मोबाइल पर संचालित हो रहे हैं। नेवा के तहत सदन की कार्यवाही विवरण, सदन में रखे जाने वाले पेपर्स, विधेयकों से सम्बन्धित जानकारी समितियों की रिपोर्ट, प्रश्न और उनके जवाब, बुलेटिन, कार्यवाही विवरण, डिजिटल लाइब्रेरी, सूचनाएं और सदस्यों से सम्बन्धित जानकारी एक ही एप्लीकेशन में उपलब्ध हो रही है। इसके साथ ही राजस्थान विधान सभा का ई-बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है। साथ ही अन्य कई नवाचार भी किये गये हैं।

कांग्रेस को सता रही रोहिंग्या-बांग्लादेशियों की चिंता : अशोक परनामी

‘चुनाव हारने पर पहले कांग्रेस ईवीएम का राग अलापती थी, अब एसआईआर का राग अलाप रही’



अशोक परनामी

जयपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और अनावश्यक विरोध पर तिखी प्रतिक्रिया दी। परनामी ने कहा कि कांग्रेस लगातार बुरी तरह हारती जा रही है, फिर चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या फिर बिहार चुनाव। कांग्रेस का जनाधार लगातार बुरी तरह गिरता जा रहा है। कांग्रेस पहले ईवीएम पर राग अलापती थी, सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्टीकरण के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने ईवीएम को छोड़कर अब एसआईआर पर राग अलापना शुरू कर दिया। हार के बाद कांग्रेसी नेता घबरा गए हैं, उन्हें उनके बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों की चिंता सता रही है।

उन्होंने कहा कि केवल विरोध करना, आंदोलन करना विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष को विकास के लिए आंदोलन करना चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा। ऐसे में मुद्दा विहीन कांग्रेस बेवजह जनता को भ्रमित करने का कामकर रही है।

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को आंदोलन करने की बजाए बिहार चुनाव में बुरी तरह हार की समीक्षा करनी चाहिए। जनता कांग्रेस के साथ नहीं, मोदी के साथ है, यह समझना चाहिए। राजधानी जयपुर में युवा कांग्रेस का तथ्यांक दिनांक आंदोलन महज चंद्र मिनटों में समाप्त हो गया और फ्लोप शो शाबित हुआ। यह बताता है कि देश की जनता, युवा अब कांग्रेस के साथ नहीं हैं, ना ही कांग्रेस के बहकावे में आनी वाली है।

परनामी ने एसआईआर को लेकर कहा कि एसआईआर का उद्देश्य केवल और केवल मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक शुद्ध बनाने के लिए चलाई जा रही है, जिसके तहत मतदाता, प्रवासियों, गलत पते वालों और दोहरी प्रविष्टियों को हटाया जाता है ताकि केवल पात्र मतदाता ही सूची में रह सकें।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने आरोप लगाया कि एसआईआर से कांग्रेस को जो भय सता रहा है, वह नाम जुड़ने का नहीं, बल्कि कांग्रेस के फर्जी वोटों के नाम कटने का है। कांग्रेस को पहले एसआईआर को पढ़ना और समझना चाहिए। एसआईआर से होने वाले नफा नुकसान को समझना चाहिए लेकिन कांग्रेस अपने नुकसान की चिंता कर रही है। एसआईआर अयोग्य मतदाताओं को हटाने और बढ़ती अनियमितताओं पर रोक लगाने का एक सशक्त माध्यम है।

परनामी ने कहा कि अशोक गहलोत भजनलाल सरकार के दो वर्षों के विकास कार्यों को पचा नहीं पा रहे

- ‘प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं छोड़ा, इसलिए बेवजह जनता को भ्रमित कर रही है कांग्रेस’

है। आज डबल इंजन सरकार राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है, और आने वाले तीन सालों में विकसित राजस्थान के लिए आयाम स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि, गहलोत के कार्यकाल में पेपरलीक हुए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, जबकि भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। गहलोत 5 साल तक ईआरसीपी पर कुंडली मारकर बैठे रहे, जबकि भजनलाल शर्मा ने इस अमृत योजना को धरातल पर उतारने का काम किया। भजनलाल सरकार ने राजर्षिग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए और करीबन 7 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतारे, जबकि गहलोत ने निवेश के नाम पर जनता से धोखा किया। गहलोत पूरे 5 साल अपने ही लोगों से सरकार बचाने में लगे रहे, जबकि जनता की सेवा, विकास कार्यों को उन्होंने नजर अंदाज किया। गहलोत भ्रष्टाचार में आर्कट तक डूबे हुए और होटलों से सरकार चलाते रहे। अब भजनलाल शर्मा सरकार के जनकल्याण, जनहितैषी कार्यों को गहलोत पचा नहीं पा रहे हैं। प्रेसवार्ता में भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगडी, भाजपा कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक और भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची उपस्थित रहे।

जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान को ‘स्थानीयकृत जोखिम’ के रूप में मान्यता मिली

इसके साथ ही धान जलभराव को भी स्थानीयकृत आपदा श्रेणी में पुनः शामिल किया गया

जयपुर (कासं)। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अन्नदाताओं को बड़ी सौगात दी है। मंत्रालय ने जंगली जानवरों द्वारा फसलों के नुकसान और धान जलभराव को कवर करने के लिए नई प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है।

संशोधित प्रावधानों के अनुसार, जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान को स्थानीयकृत जोखिम श्रेणी के पाँचवें ‘पेड-ऑन कवर’ के रूप में मान्यता दी गई है।

राज्य सरकारों जंगली जानवरों की सूची अधिसूचित करेगी तथा ऐतिहासिक आकड़ों के आधार पर अत्यधिक प्रभावित जिलों/लोबीमा इकाइयों की पहचान करेगी। किसान को फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप पर जियो-टैग फोटो के साथ दर्ज करनी होगी। इसे खरीफ 2026 से पूरे देश में लागू किया जायेगा।

इस प्रावधान का सबसे अधिक लाभ ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड,

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने देश के अन्नदाताओं को बड़ी सौगात दी
- इस प्रावधान का लाभ तटीय, हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के किसानों को मिलेगा

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड तथा हिमालयों और उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के किसानों को होगा, जहाँ जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति एक प्रमुख चुनौती है। ज्ञात रहे कि देशभर में किसान लंबे समय से हाथी, जंगली सुअर, नीलगाय, हिरण और बंदरों जैसे जंगली जानवरों के हमलों के कारण बढ़ते फसल नुकसान का सामना कर रहे हैं। यह समस्या मुख्यतः वन क्षेत्रों, त्रों वन

गलियारों और पहाड़ी इलाकों के निकट बसे किसानों में अधिक देखी जाती है। अब तक ऐसे नुकसान फसल बीमा योजना के दायरे में नहीं आते थे, जिसके कारण किसानों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी।

ऐसे में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की। समिति की रिपोर्ट को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ अब स्थानीय स्तर पर फसल नुकसान झेलने वाले किसानों की समस्या बढ़ और तकनीक-आधारित दावा निपटान का लाभ मिलेगा।

धान जलभराव को स्थानीयकृत आपदा श्रेणी में पुनः शामिल किए जाने से तटीय और बाढ़ संभावित राज्यों जैसे ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जहाँ जलभराव से धान की फसल का नुकसान हर वर्ष दोहराया जाता है।

आबकारी आयुक्त और वित्त सचिव आकर बताए इंटरनेशनल प्लेयर को क्यों नहीं दी नियुक्ति?

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाइकोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी को आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट रूल्स, 2017 के तहत सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति नहीं देने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में आबकारी आयुक्त और वित्त सचिव को 26 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने दोनों अफसरों से पूछा है कि पैरालंपिक सहित अन्य प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ता को नियुक्ति की सिफारिश के बावजूद नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश निहाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा की गत सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से मामले में सकारात्मक निर्णय लेकर 2 सप्ताह में अदालत में जानकारी पेश करने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से तय अवधि में कोई जानकारी नहीं दी गई। याचिका में अधिकवक्ता तनवीर अहमद ने बताया की याचिकाकर्ता 26 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट है

- राजस्थान हाइकोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी को आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट रूल्स, 2017 के तहत सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति नहीं देने पर नाराजगी जताई

और 41 फीसदी लोकोमोटर दिव्यांग है। याचिका में कहा गया कि उसने एशियन पैरा गेम्स, 2023 और पैरिस पैरालंपिक, 2024 में प्रतिनिधित्व करते हुए कई विश्व पैरा शूटिंग प्रतियोगिताओं में करीब 20 मैडल जीते हैं।

इनमें वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मैडल भी शामिल है। राज्य के खेल विभाग ने 29 सितंबर, 2023 को आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट रूल्स, 2017 के तहत उसका ए श्रेणी में चयन करते हुए उसे सहायक आबकारी अधिकारी की साल 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति देने की सिफारिश की। इसमें कहा गया कि यदि पद रिक्त नहीं है तो पद का सुजन मान लिया जाए। इस पत्र को 11 अक्टूबर, 2023 को आबकारी विभाग को भेजा गया, लेकिन विभाग ने दिव्यांगों के लिए पदों की पहचान नहीं होने का हवाला देते हुए अब तक उसे नियुक्ति नहीं दी। याचिका में बताया गया की राज्य

दिव्यांग आयोग में आबकारी विभाग ने स्वीकार किया है कि बीते तीन सालों से दिव्यांगों के लिए कोई भी पद पहचान प्रक्रिया नहीं की गई है, यह भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 और धारा 34 के साथ ही इस संबंध में साल 2018 में बनाए नियमों के खिलाफ है।

याचिका के अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता के समान मामले में पूर्व में अन्य पैरा एथलीट अबनी लखेरा, सुंदर गुर्जर और देवेन्द्र झाझडिया को एसीएफ के पद पर नियुक्ति दी गई थी, जबकि उस समय भी वह पद दिव्यांगों के लिए निर्धारित नहीं था। याचिकाकर्ता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है, लेकिन अफसरों की उपेक्षा के कारण उसे आजीविका और सम्मान से वंचित किया जा रहा है। जिस सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों अधिकारियों को हाज़िर होकर जवाब देने को कहा है।

